राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

क्रमॉकःराकृम / सामान्य / केन्टीन / 2024 / *1622* दिनॉक 21.02.2024

निविदा सूचना संख्याः

महाविद्यालय के **'हेवमोर जलपान गृह'** को ठेके हेतु मोहरबन्द निविदाऐं दिनॉक 28.02.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक आमन्त्रित कर अगले दिन दिनॉक 29.02.2024 को प्रातः 11.30 बजे खोली जावेगी । निविदा फार्म मय नियम–शर्ते रूपया 100/– तथा निविदा के साथ रूपया 1000/– रोकड़शाखा से चालान प्राप्त कर अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के नाम जमा कराना होगा । प्राथमिकता हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें । अधिष्ठाता को किसी भी निविदा को अस्वीकार करने व निरस्त करने का अधिकार होगा । जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www. mpuat.ac.in or rcaudaipur.in से प्राप्त की जा सकती है ।

अधिष्ठाता

DEAN
RAJASTHAN COLLEGE OF
AGRICULTURE, UDAIPUR

राजस्थान कृषि महाविद्यालय

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

उदयपुर (राज0)

<u>महाविद्यालय केन्टीन (हेवमोर) के ठेके की शर्ते</u> :

इस महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक व अन्य कर्मचारियों के लिये संचालित केन्टीन के ठेके के नियम एवं शर्ते निम्नलिखित होगी :—

01. यह ठेका शैक्षणिक वर्ष 2024—2025 के लिये अर्थात 01 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक का होगा। ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो उक्त मियाद को ठेकेदार की प्रार्थना पर अधिष्ठाता द्वारा बढ़ाया जा सकता है । इसके विपरीत कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो एक माह अथवा विशेष परिस्थितियों में 15 दिन का नोटिस देकर ठेके को समाप्त किया जा सकता है ।

02. ठेकेदार को कॉलेज केन्टीन में ही केन्टीन चलानी होगी । केन्टीन सुविधा एवं छात्रों के हितों को देखते हुये फर्नीचर व भवन का किराया नहीं लिया जावेगा परन्तु जलपान गृह के विकास के एवज् में रूपया 2000.00 (अक्षरे रूपया दो हजार) प्रति माह लिया जावेगा, जिसे प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा उचित कार्यवाही की जावेगी । यदि किसी कारण से चलती हुई केन्टीन को अचानक बन्द कर दी जाती है तो ठेकेदार की सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।

03. जो भी फर्नीचर, बिजली के उपकरण एवं सेनेट्री से संबंधित सामान दिये जावेगा उनके रख—रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, यदि कोई टूट—फूट होगी तो ठेकेदार अपने खर्च के द्वारा ही मरम्मत करवायेगा अथवा नया खरीद कर वापस जमा करवायेगा। केन्टीन की नित्य सफाई एवं रख—रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

04. केन्टीन को साफ—सुथरा रखना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा जारी साफ—सफाई से संबंधित दिशा—निर्देशों की पालना करनी होगी । जलपान सेवा—व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखने होगें । कर्मचारी उचित व साफ—सुथरी पोशाक पहन कर कार्य करेगें, जिसकी जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी एवं बाल—श्रमिक नहीं लगाये जायेगें।

05. जिस ठेकेदार के नाम ठेका मंजूर हो, उसे रूपया 30,000.00 (अक्षरे रूपया तीस हजार) मात्र बतौर जमानत के अधिष्ठाता के कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा एक इकरारनामा प्रपत्र 100.00 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर भर कर देना होगा, जिसमें महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के किन्हीं दो कर्मचारियों को (जिन्हें अधिष्ठाता अच्छी प्रकार से जानते हों) बतौर जमानती अपने हस्ताक्षर करने होगें ।

06. ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति को केन्टीन किराये या ठेके पर नहीं दे सकेगा व केन्टीन के खुलने से बन्द होने तक ठेकेदार स्वयं काउण्टर पर ही रहेगा । ऐसा नहीं पाये जाने पर केन्टीन का ठेका समाप्त किया जा सकेगा ।

07. केन्टीन का दुरूपयोग नहीं होगा । ठेकेदार केन्टीन में किसी भी व्यक्ति को बिना कार्य नहीं बैठने देगा व किसी भी छात्र अथवा कॉलेज कर्मचारी को वस्तु निर्माण गृह में प्रवेश नहीं देगा । मादक द्रव्य पदार्थ, तम्बाकू एवं इसके उत्पाद का प्रयोग, लेन- देन एवं प्लास्टीक निर्मित गिलास, प्लेटें आदि का उपयोग केन्टीन के अन्दर पूर्णतया वर्जित रहेगा ।

08. केन्टीन के पश्चिम भाग में महाविद्यालय के स्टाफ एवं कर्मचारियों हेतु एव पूर्वी भाग को विद्यार्थियों के बैठने हेतु आरक्षित करने की सूचना सूचना—पट्ट पर लगाई जावे व उसी अनुसार व्यवस्था को सुनिश्चित करें तथा इस व्यवस्था का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति की सूचना महाविद्यालय प्रशासन को भिजवाई जावे ।

09. ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन शुद्ध, ताजा तथा गुणवत्ता वस्तुऐं ही विक्रय करेगा, इसके विपरीत होने पर अधिष्ठाता द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी ।

10. ठेकेदार द्वारा मीनू व रेट, टेण्डर फार्म में बताये अनुसार चार्ज करेगा अथवा जो केन्टीन कमेटी द्वारा स्वीकृत होगी उन वस्तुओं के नमूने भी मान्य कराने पड़ेगें और उसके अनुसार उसे वस्तुऐ विक्रय करनी होगी । बाजार भाव के अनुसार कमेटी की सहमति से दरों में परिवर्तन किया जा सकेगा । ठेकेदार प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची केन्टीन में लिखकर निश्चित स्थान पर लगाकर रखेगा, जिसको उपभोक्ता आसानी से देख सके ।

11. केन्टीन का समय प्रातः 07:30 से सॉय 05:30 बजे तक होगा । महाविद्यालय के छात्रों की सुविधानुसार केन्टीन का समय परिवर्तित किया जा सकता है तथा महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे खेल–कूद,मिटिंग के लिये अधिक समय तक अथवा अवकाश के दिन भी केन्टीन खुली रखने का प्रावधान होगा । जिसकी पूर्व सूचना ठेकेदार को समय पर दी जावेगी । महाविद्यालय या विश्वविद्यालय व अन्य किसी कार्यक्रम हेतु केन्टीन का उपयोग महाविद्यालय प्रशासन कर सकता है, जिसके लिये ठेकेदार को तत्काल केन्टीन की सुपुर्दगी देनी होगी, जिसका ठेकेदार को कोई किराया देय नहीं होगा तथा केन्टीन से संबंधित सभी अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेंगे । कमेटी के सदस्यों द्वारा समय–समय पर केन्टीन का औचक निरीक्षण किया जावेगा ।

12. टेण्डर भेजते समय लिफाफे पर **"केन्टीन के लिये टेण्डर"** शब्द लिखें ।

13. ठेके से संबंधित समस्त अधिकार अधिष्ठाता के हित में निहित होगें एवं अधिष्ठाता का फैसला ही ठेकेदार को मान्य होगा ।

14. **केन्टीन समय के बाद यानि 06.00 बजे सॉय के बाद कोई भी व्यक्ति केन्टीन में रात्रि निवास नहीं करेगा । केन्टीन में सभी प्रकार का विज्ञापन वर्जित रहेगा ।**

15. केन्टीन परिसर में निर्मित खाद्य सामग्री, महाविद्यालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी । विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता की पूर्व लिखित अनुमति से ऐसा किया जा सकता है ।

16. खाद्य सामग्री की दरों को भरते समय (ठेकेदार) यह सुनिश्चित करें कि जो मुद्रा बाजार चलन में उपलब्ध हो उसी के अनुरूप दरें भरी जानी चाहिये ताकि क्रय करते समय उपभोक्ताओं को असुविधा न हो (जैसे 50 पैसे के लिये 49 पैसा नहीं भरे) टेण्डर में इस नियम की पालना नहीं करने पर टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा ।

17. नल–बिजली का किराया एवं खर्चा अलग से ठेकेदार को मीटर रिडिंग के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जमा करवाना होगा अन्यथा 16 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा । लाईट का उपभोग अधिक करने एवं बिजली विभाग द्वारा दरे बढाने पर बढ़ा हुआ शुल्क जमा कराना होगा ।

18. योग्य उम्मीदवार द्वारा महाविद्यालय में पुलिस सत्यापन सम्बन्धित दस्तावेज जमा कराने होगें, साथ ही मूल निवास का पता, वोटर आई.डी.,आधार कार्ड, बैंक के खाता नं0 इत्यादि की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा पिछले पॉच वर्षो से जानने वाले सक्षम व्यक्ति की जमानत मय पता व हस्ताक्षर अनिवार्य होगें ।

19. केन्टीन के बाहर छोटे गार्डन की भी ठेकेदार द्वारा देख–भाल करनी होगी ।

दिनॉकः–
स्थान : उदयपुर

अधिष्ठाता
RAJASTHAN COLLEGE OF AGRICULTURE, UDAIPUR

हस्ताक्षर
निविदादाता मय पूरा पता
एवं रबर स्टाम्प के

राजस्थान कृषि महाविद्यालय

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)

उदयपुर (राज0)

केन्टीन संचालन हेतु आवेदन–पत्र मय रेट लिस्ट

फोटो

नाम : ____________________

पिता/पति का नाम : ____________________

वर्तमान पता : ____________________

स्थाई पता : ____________________

____

फोन नं0 : ____________________

पहचान पत्र मय : ____________________

फोटो प्रति (वोटर आईडी)

अनुभव : ____________________

मय फोटोप्रति ____________________

मैं, ____________________ पुत्र श्री ____________________

निवासी ____________________ (पूरा पता)

केन्टीन ठेके हेतु तैयार हूँ । मैने आपकी सभी शर्ते व नियम पूर्ण रूप से पढ़ लिये हैं व मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ तथा आपके द्वारा जो भी निर्देश समय–समय पर दिये जायेगें, उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा ।

मेरे द्वारा केन्टीन में बेची जाने वाली खाद्य सामग्री व पेय पदार्थ के नाम तथा दरें निम्न प्रकार है व इसके अलावा जो भी वस्तु मैं विक्रय करना चाहूँगा, उसकी पूर्वानुमति आपसे लेकर करूँगा ।

(अ) **गर्म पेय पदार्थ**

चाय 75 मिली लीटर	रू0 ________
चाय 100 मिली लीटर	रू0 ________
दूध 100 मिली लीटर	रू0 ________
कॉफी 100 मिली लीटर	रू0 ________

(ब) **ठण्डे पेय पदार्थ**

लस्सी 200 मिली लीटर	रू0 ________
ठण्डा शीतल (पेप्सी,लिम्का,थम्सअप व अन्य)	रू0 ________

(स) **शाकाहरी खाद्य पदार्थ**

समोसा 75 ग्राम	रू0 ________
कचोरी 75 ग्राम	रू0 ________
आलू बड़ा/मिर्ची बड़ा 75 ग्राम	रू0 ________
पकोड़ी 100 ग्राम	रू0 ________
नमकीन 100 ग्राम	रू0 ________
पोये 1 प्लेट	रू0
किम रोल	रू0 ________
बिस्किट	रू0 ________
वेपर्स	रू0 ________
सेण्डविच	रू0 ________
ब्रेड	रू0 ________